


समाहरणालय, कैमूर(भभुआ)



सत्यमेव जयते

जिला गजट

असाधारण अंक

गजट सं०-०१

दिनांक 22.01.2019

मास- माघ, कृष्ण पक्ष तिथि द्वितीया

दिन- मंगलवार

विक्रम सम्वत्-2075

श्री अशोक कोरवा, कार्यालय परिचारी प्रखण्ड कार्यालय कुदरा को सरकारी
सेवा से बर्खास्त (Dismiss) संबंधी आदेश का गजट प्रकाशन

(डा० नवल किशोर चौधरी)

जिलाधिकारी,

कैमूर(भभुआ)

आदेश संख्या— .176..... / 2018—19

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुदरा के पत्रांक— 1691 दिनांक 16.11.2013 द्वारा प्रेषित श्री अशोक कोरवा, कार्यालय परिचारी, प्रखण्ड कार्यालय, कुदरा को अनाधिकृत अनुपस्थिति के साक्ष्य सहित हस्ताक्षरित प्रपत्र— “क” में गठित आरोप पत्र को अनुमण्डल पदाधिकारी, मोहनियां के पत्रांक— 2597/स्था० दिनांक 25.11.2013 द्वारा अनुमोदनोपरान्त प्राप्त हुआ। प्राप्त प्रपत्र “क” में आरोप पत्र को अनुमोदित करते हुए श्री अशोक कोरवा, कार्यालय परिचारी, प्रखण्ड कार्यालय, कुदरा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु इस कार्यालय के आदेश संख्या— 168/2013—14 ज्ञापांक— 2083/स्था० दिनांक 13.12.2013 द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, भभुआ को संचालन पदाधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुदरा को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी का जॉच प्रतिवेदन:-

भूमि सुधार उप समाहर्ता, भभुआ—सह—संचालन पदाधिकारी, के पत्रांक— 159/रा० दिनांक 08.03.2014 द्वारा श्री अशोक कोरवा, कार्यालय परिचारी, प्रखण्ड कार्यालय, कुदरा के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि आरोपी कर्मी श्री अशोक कोरवा, कार्यालय परिचारी, प्रखण्ड कार्यालय, कुदरा के उपर लगाये गये आरोपों की जॉच एवं सुनवाई दिनांक 03.01.2014 से दिनांक 07.03.2014 तक की गई है। इस दौरान उपस्थापन पदाधिकारी—सह—प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुदरा मोहम्मद असलम एवं आरोपी कर्मी श्री अशोक कोरवा को अपना—अपना पक्ष एवं बचाव रखने हेतु नोटिस भेजा गया। उपस्थापन पदाधिकारी उपस्थित हुए। उनके द्वारा बताया गया कि आरोपी कर्मी श्री अशोक कोरवा आज तक बिना कोई सूचना के अनुपस्थित है।

आरोपी कर्मी को नोटिस का तामिला एवं आरोप से संबंधित सभी कागजातों का तामिला विशेष दूत के माध्यम से आरोपी कर्मी के घर जाकर कराने का निदेश उपस्थापन पदाधिकारी—सह—प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुदरा को दिया गया। जिसका अनुपालन किया गया। आरोपी कर्मी की माता मान्ती कुँवर, ग्राम—सैदुपुर, टोला—जड़गढ़, पोस्ट— मोरवाई कला, थाना— बरवाडीह, जिला— लातेहार (झारखण्ड) में जाकर तामिला कराया गया है, जिसका तामिला प्रतिवेदन तीन गवाहों यथा, 1. सुदेश्वर सिंह, पारा शिक्षक, रा० प्रा० वि०, जड़गढ़, 2. अमीन सिंह, ग्राम प्रधान, ग्राम— सैदुपुर, 3. श्रवण कुमार सिंह, मुखिया, पंचायत— मोरवाई कला की उपस्थिति में कराया गया है, वो उक्त लोगों के द्वारा लिखित रूप में बताया गया है कि आरोपी कर्मी अशोक कोरवा अपने घर से करीब चार महीने से लापता है। सुनवाई के दौरान भी आरोपी कर्मी श्री अशोक कोरवा, कार्यालय परिचारी, प्रखण्ड कार्यालय, कुदरा उपस्थित होकर अपना बचाव पक्ष नहीं रखा है। इस प्रकार आरोप प्रमाणित होता है।

आरोपी कर्मी से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग:-

इस कार्यालय के ज्ञापांक— 837/स्था० दिनांक 05.05.2014 द्वारा श्री अशोक कोरवा, कार्यालय परिचारी, प्रखण्ड कार्यालय, कुदरा के गृह पता— ग्राम— सैदुपुर, टोला— जड़गढ़, पोस्ट— मोरवाई कला, थाना— बरवाडीह, जिला— लातेहार (झारखण्ड) पर संचालन पदाधिकारी का जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध कराते हुए द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी, तथा इस कार्यालय के पत्रांक— 838/स्था० दिनांक 05.05.2014 द्वारा श्री कोरवा से द्वितीय कारण पृच्छा प्रस्तुत करने हेतु झारखण्ड एवं बिहार के दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित किया गया।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुदरा का अद्यतन प्रतिवेदन:-

इस कार्यालय के पत्रांक- 1380/स्था0 दिनांक 06.11.2018 द्वारा श्री अशोक कोरवा, कार्यालय परिचारी, प्रखण्ड कार्यालय, कुदरा के अनाधिकृत अनुपस्थिति से संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुदरा से अद्यतन प्रतिवेदन की माँग की गयी। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुदरा के पत्रांक- 1728 दिनांक 01.12.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री कोरवा दिनांक 01.07.2013 से आजतक बिना सूचना के कार्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री कोरवा दिनांक 01.07.2013 से आजतक बिना सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है। बिहार सेवा संहिता के नियम- 76 में स्पष्ट है कि सरकारी सेवक कर्तव्य से पाँच वर्ष तक लगातार अनुपस्थित रहे वह सरकारी सेवा में नहीं रह जाता है।

अतः मैं डॉ० नवल किशोर चौधरी, भा०प्र०से०, जिलाधिकारी, कैमूर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 यथा संशोधित नियम 14 (XI) में निहित शास्तियों के आलोक में श्री अशोक कोरवा कार्यालय परिचारी, प्रखण्ड कार्यालय, कुदरा को सरकारी सेवा से बर्खास्त (DISMISS) करता हूँ।

श्री अशोक कोरवा से संबंधित विवरणी निम्नवत है:-

1. कर्मचारी का नाम :- श्री अशोक कोरवा,
2. पिता का नाम :- स्व० राजू कोरवा,
3. पद का नाम :- कार्यालय परिचारी,
4. कार्यालय का नाम :- प्रखण्ड कुदरा
5. स्थायी पता :- ग्राम- सैदुप टोला जड़गढ़, पोस्ट- मोरवाई कला, थाना- बरवौडीह, जिला- लातेहार (झारखण्ड)

ह०/
(डा० नवल किशोर चौधरी)
जिलाधिकारी,
कैमूर(भमुआ)

ज्ञापांक- XI-08-19 / / स्था. दिनांक.....

- प्रतिलिपि:- श्री अशोक कोरवा, कार्यालय परिचारी, प्रखण्ड कार्यालय, कुदरा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुदरा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि अधिरोपित दण्ड की प्रविष्टि श्री कोरवा के सेवापुस्त में दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे।
प्रतिलिपि:- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी, कैमूर जिला को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- आई०टी० प्रबंधक/जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, कैमूर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी, कैमूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- भूमि सुधार उप समाहर्ता, भमुआ-सह-संचालन पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, कैमूर को प्रेषित।
प्रतिलिपि:- वरीय कोषागार पदाधिकारी, कैमूर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- भूमि सुधार उप समाहर्ता, भमुआ/मोहनियां को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- अनुमण्डल पदाधिकारी, भमुआ/मोहनियां को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा, कैमूर को सूचनार्थ एवं जिला गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- उप विकास आयुक्त, कैमूर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- अपर समाहर्ता, कैमूर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/
(डा० नवल किशोर चौधरी)
जिलाधिकारी,
कैमूर (भमुआ)